परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, इंदौर

Atomic Energy Central School, Indore

शिक्षा के अधिकार (आरटीई),2009 के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए प्रवेश संबंधी परिपत्र

Admission Circular for the Academic Year 2026-2027 under RTE (Right to Education),2009

इस परिपत्र में आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत प्रवेश चाहने वाले बच्चों के लिए इंदौर के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए बालवाटिका-I में प्रवेश हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं।

This circular contains the guidelines for admission to Balvatika-I for the Academic Session 2026-2027 in Atomic Energy Central School, Indore for the children seeking admission under RTE Act. 2009

प्रवेश प्रपत्र जारी करने और स्वीकार करने मात्र से आरटीई के तहत छात्रों के प्रवेश की गारंटी नहीं मिल जाती है।
Mere issue and acceptance of admission form will not guarantee the admission to the students under RTE.

आरटीई अधिनियम के अंतर्गत बालवाटिका-I में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से कक्षा VIII पूरी होने तक कोई विद्यालय शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, जिन कर्मचारियों को अपने विभाग में शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है, वे आरटीई रियायतों का दावा नहीं कर सकते।

No School fee will be charged from the students admitted in Balvatika-I under RTE Act till they complete Class-VIII. **The employees who have the facility of fee reimbursement in their department cannot claim RTE concessions.**

आयु: 31 मार्च, 2026 को 3 (तीन) वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चे (1 अप्रैल को जन्मे बच्चे को भी प्रवेश के लिए शामिल किया जाएगा) जो आस-पड़ोस के क्षेत्र में रहते हैं और वंचित समूह और/या कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं।

Age: Children who have completed 3 (Three) years as on March 31,2026 (The child born on 1st April should also be considered for admission) residing in the neighbourhood area, who belong to Disadvantaged Group and/or Weaker Section are eligible to seek admission under the provisions of RTE Act,2009.

प्रवेश आवेदन फॉर्म/प्रपत्र: आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश चाहने वाले अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभिभावक स्कूल की वेबसाइट wwwindore.ac.in या www.aees.gov.in से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, अभिभावक कार्यालय समय के दौरान स्कूल कार्यालय से भी नि:शुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

ADMISSION FORM: No fee will be charged from the parents seeking admission under RTE Act. Parent can download the application from the school website:wwwindore.ac.in or www.aees.gov.in. Else the parents can obtain application form from the school office also during the office hours free of cost.

A) **प्रवेश विधि:** यदि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत बालवाटिका-I में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित/उपलब्ध सीटों से अधिक हो जाती है, तो आरटीई अधिनियम के तहत (उपरोक्त उल्लिखित) सीटों के लिए लॉटरी प्रणाली द्वारा प्रवेश दिया जाएगा।

   Method of admission: If the number of applications received seeking admission into Balvatika-I under the provisions of RTE Act exceeds beyond the prescribed/available seats. Admission will be given for the seats (as stated above) under RTE Act, by having a system of Draw of Lots.

B) आस-पडोस के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे, अर्थात् आवेदक, आरआरसीएटी कॉलोनी, इंदौर के मुख्य प्रवेश द्वार से तीन (03) किलोमीटर के भीतर निवास करने वाले पड़ोसी वार्डों से होने चाहिए, जो मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार वंचित समूह और/या कमजोर वर्ग से संबंधित है, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत प्रवेश पाने के पात्र हैं।
Children residing in the neighbourhood area i.e. **applicant should be from neighbouring wards having their residence within three (03) kilometres from the main entrance gate of RRCAT Colony, Indore**, who belong to Disadvantaged Group and /or Weaker Section as per Madhya Pradesh Govt. notification are eligible to seek admission under the provisions of RTE Act, 2009.

मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार वंचित समूह / कमजोर वर्ग / पड़ोस की परिभाषा:
DEFINITION OF DISADVANTAGED GROUP / WEAKER SECTION / NEIGHBOURHOOD AS PER MADHYA PRADESH GOVT. NOTFICATION:

विशेष आवश्यकता वाले और विकलांगता से पीड़ित बच्चे का निर्धारण आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परिभाषित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
Child with special needs and suffering from disability will be determined as per the provision mentioned in RTE Act 2009 or as defined by the **MADHYA PRADESH GOVT.**

a) **वंचित समूह की परिभाषा/Definition of Disadvantaged group:**

1. वंचित समूह से संबंधित बच्चे का अर्थ है दिव्यांग बच्चा या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह से संबंधित बच्चे जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारकों से वंचित है. जिन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (डी) के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकता है।
   Child belonging to disadvantaged group means a child with disability or a child belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the **MADHYA PRADESH GOVT**, by notification (Section 2(d) of RTE Act).

2. विशेष आवश्यकताओं वाले (सीडब्ल्यूएसएन) और विकलांगता से पीड़ित बच्चों का निर्धारण आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
   Children With Special Needs (CWSN) and suffering from disability will be determined as per the provision mentioned in RTE Act 2009 or as defined by the **MADHYA PRADESH GOVT**.

b) **कमजोर वर्ग की परिभाषा/Definition of weaker section:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चे का अर्थ ऐसे माता-पिता या अभिभावक (न्यायालय या कानून द्वारा घोषित) का बच्चा है, जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है (आरटीई अधिनियम की धारा 2(ई))। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय सीमा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार लागू होगी।
   Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian (declared by a Court or a Statute) whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government, by notification (Section 2(e) of RTE Act). The income limit regarding economically weaker sections will be applicable as notified by the Govt. of Madhya Pradesh.

c) **पड़ोस की परिभाषा/Definition of neighbourhood:** आवेदक को आरआरसीएटी कॉलोनी, इंदौर के मुख्य प्रवेश द्वार से तीन (03) किलोमीटर के भीतर निवास करने वाले पड़ोसी वार्डों से होना चाहिए।
   Applicant should be from neighbouring wards having their residence within three (03) kilometres from the main entrance gate of RRCAT Colony, Indore.

आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बालवाटिका-I के लिए संभावित प्रवेश कार्यक्रम

Tentative Admission Schedule for Balvatika-I under the Provisions of RTE Act

क्र.सं. Sr. No.	गतिविधि Activity	दिनांक/Date	समय/Time
1	आवेदन पत्रों का वितरण Distribution of Admission Form	15-04-2026 to 24-04-2026	9 am to 1 pm
2	सभी सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों को जमा करना Submission of the duly filled in Admission forms with all supporting documents	16-04-2026 to 25-04-2026	9 am to 1 pm
3	पात्र और योग्य पाए छात्रों की सूची का प्रदर्शन/Display of the list of students found eligible and qualified	बाद में घोषणा की जायेगी To be announced	10.00 am
4	आर.टी.ई. के अंतर्गत छात्रों का प्रवेश/Admission of students under RTE	बाद में घोषणा की जायेगी To be announced *	9 am to 1 pm

नोट: *सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के उपरांत।

Note: *Subject to approval from the competent authority.

आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिन विद्यालयों में प्रवेश मांगा जा रहा है, उनमें प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है।

The following documents are required to be submitted at the time of admission in the respective schools where admission is sought under the provisions of RTE Act.

1. जन्मतिथि प्रमाण के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इसमें संबंधित क्षेत्र के राजस्व/पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के तहत पृष्ठांकित ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से जन्म तिथि के बारे में संबधित क्षेत्र परिषद/नगर पालिका/नगर पालिका निगम के प्रमाण पत्र शामिल होंगे।

   जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

   Certificate of proof of age in the form of original birth certificate issued by the authority competent to register birth.This will include certificates from Notified Area Council/ Municipality/ Municipality Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat endorsed under the seal and signature of the Revenue/Panchayat officer of the concerned area.

   Admission will not be granted on the basis of an affidavit in lieu of a birth certificate.

2. यह प्रमाण पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/बीपीएल / दिव्यांग, जो भी लागू हो, से संबंधित राज्य सरकार / केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। प्रारंभ में, यदि यह प्रमाण पत्र बच्चे के नाम पर उपलब्ध नहीं है तो प्रवेश के उद्देश्य से माता-पिता में से किसी के संबंध में प्रमाण पत्र शुरू में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, बच्चे के संबंध में प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

   A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/ BPL/ Differently-abled, whichever applicable, issued by the competent authority of State Government/ Union Government concerned.The certificate in respect of either of the parents may be accepted initially, for the purpose of admission, if this certificate is not available in the name of the child. However, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 3 Months from the date of admission.

3. दिव्यान्गता की स्तिथि में, सिविल सर्जन / पुनर्वास केंद्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि बच्चा विकलांग है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां बच्चे की दिव्यान्नगता को प्रधानाचार्य द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वहां बच्चे को प्रमाण पत्र के बिना भी विकलांग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, माता-पिता को सक्षम प्राधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने और विद्यालय को प्रस्तुत करने की सलाह दी जा सकती है।

4. A Certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India certifying that child is handicapped. (Wherever applicable). Where the handicap of the child can be visually seen by the Principal, the child may be accepted as handicapped even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school.

5. माता-पिता के आधार कार्ड/राशन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रतियां, जिनमें बच्चे का नाम भी शामिल हो।
Self Attested copies of Aadhaar card/ Ration card of parents along with the name of the child .

6. निवास प्रमाण (अनिवार्य) जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पड़ोसी वार्डों का निवास इंदौर के आरआरसीएटी कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार से तीन (03) किलोमीटर के भीतर है।
Proof of residence (essential) showing the neighbouring **wards having their residence within three (03) kilometres from the main entrance gate of RRCAT Colony, Indore.**

नोट: सभी आवेदकों को निवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
Note: Proof of residence shall have to be submitted by all applicants.

प्रवेश के लिए आयु मानदंड/Age Criteria for Admission:

विभिन्न कक्षाओं में प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा नीचे दी गई है: **(1 अप्रैल को जन्मे बच्चे को भी प्रवेश दिया जायेगा) ।**

Minimum and maximum age limit for admission to various classes in AEES are given below: **(Child born on 1st April should also be considered.)**

कक्षा/Class	**31 मार्च, 2026 को न्यूनतम आयु Minimum age on 31st March, 2026**	**31मार्च,2026 को अधिकतम आयु Maximum age on 31st March, 2026**
Balvatika-I	3 Years	4 Years
Balvatika-II	4 Years	5 Years
Balvatika-III	5 Years	6 Years
I	6 Years	8 Years
II	7 Years	9 Years
III	8 Years	10 Years
IV	9 Years	11 Years
V	9 Years	11 Years
VI	10 Years	12 Years
VII	11 Years	13 Years
VIII	12 Years	14 Years
IX	13 Years	15 Years
X	14 Years	16 Years
XI	15 Years	17 Years
XII	16 Years	18 Years